

1. निदेशक भ्रमणशील
शल्य चिकित्सा ईकाई
जयपुर
2. समस्त संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-.....राजस्थान
3. समस्त अधीक्षक
संबद्ध चिकित्सा समूह
राजस्थान
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान

संशोधित परिपत्रादेश

विषय:- 01.09.06 के पश्चात राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी अवधि पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान अनुज्ञान करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के आदेश क्रमांक 1136 दिनांक 15.07.10 के द्वारा 01.09.06 के पश्चात राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की जाकर आदेशों में वर्णित शर्तों के अध्याधीन 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक पूर्ण करने पर पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 5 (2) के अनुसरण रनिंग पै बैण्ड 5200-20200 व 1900 ग्रेड पै 7100/- पर वेतन नियतन का परिपत्र जारी किया गया था, के क्रम में एफ.डी. रूल्स की राय/मार्गदर्शन पश्चात Under schedule-v appended to rule 22 of RCS (RP) Rules 2008 के तहत रनिंग पै बैण्ड 5200-20200 at Rs. 5680/- plus grade pay of Rs.1900/- Total Rs. 7580/- पर संशोधित वेतन नियत किया जावे। उक्त आदेश वित्त विभाग (रूल्स) की आई.डी. संख्या 221001642 दिनांक 18.11.2010 के तहत जारी किया गया है।

अति0 निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।
दिनांक : 10/01/11

क्रमांक :- ई-18/एम/(6011-यू)/10/39

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (जन स्वा0)/आरसीएच/एड्स, मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड करें।
5. समस्त कार्यालय अधीक्षक एवं प्रभारी अनुभाग।
6. परिपत्र पत्रावली।

अति0 निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।